भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3645
(जिसका उत्तर सोमवार, 11 अगस्त, 2025/20 श्रावण, 1947(शक) को दिया जाना है)

उपकर लगाकर संबंधित राशि का उपयोग

3645. **श्री जी. कुमार नायकः**

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश में उपकर लगाने की प्रक्रिया क्या है;

(ख) भारतीय कानून के अंतर्गत विशिष्ट कानूनी प्रावधान क्या हैं जो सरकार को उपकर लगाने का अधिकार देते हैं,

(ग) क्या ऐसे उपकर लगाने और उसके उपयोग के लिए कोई दिशानिर्देश या मानदंड हैं।

(घ) हाल ही में लगाए गए उपकरों का ब्यौरा क्या है और उपकर लगाने के उद्देश्य तथा ऐसे उपकरों से क्या परिणाम अपेक्षित हैं:

(ङ) पिछले पाँच वर्षों के दौरान सरकार द्वारा एकत्रित उपकर और अधिभार की राशि का ब्यौरा क्या है और पिछले पाँच वर्षों के दौरान इसमें कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है; और

(च) क्या सरकार उपकर और अधिभार के संग्रहण को सकल कर राजस्व के एक निश्चित प्रतिशत तक सीमित रखने और किसी भी अतिरिक्त राशि को विभाज्य पूल में शामिल करने का इरादा रखती है और यदि हों, तो उसका ब्यौरा क्या है?

उत्तर
वित्त राज्य मंत्री
(श्री पंकज चौधरी)

(क) उपकर को केंद्रीय बजट में प्रस्तुत वित्त विधेयक के भाग के रूप में या संसद के एक अलग अधिनियम के माध्यम से पेश किया जाता है।

(ख) भारतीय संविधान के अनुच्छेद 270(1) के अनुसार, संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि के अधीन विशिष्ट प्रयोजनों के लिए उदगृहित कोई भी उपकर भारत सरकार द्वारा उदगृहित किया जाएगा।

(ग) उपकरों और अधिभारों से प्राप्तियां भारत की समेकित निधि का हिस्सा बनती हैं और इनका उपयोग विभिन्न केन्द्रीय सरकारी योजनाओं और पहलों के माध्यम से राज्यों में विकास/कल्याणकारी उपायों के वित्तपोषण के लिए किया जाता है।

(घ) हाल ही में लागू किये गये उपकर का विवरण:

(i) वित्त अधिनियम, 2021 की धारा 124 के तहत कृषि अवसंरचना और विकास उपकर (एआईडीसी) को कृषि अवसंरचना और अन्य विकास व्यय के वित्तपोषण के लिए विनिर्दिष्ट आयातित वस्तुओं पर सीमा शुल्क के रूप में लगाया गया था।

(ii) वित्त अधिनियम 2020 की धारा 141 के तहत स्वास्थ्य उपकर, स्वास्थ्य अवसंरचना और सेवाओं के वित्तपोषण के प्रयोजनों के लिए, विनिर्दिष्ट आयातित चिकित्सा उपकरणों पर सीमा शुल्क के रूप में लगाया गया था।"

(iii) क्षतिपूर्ति उपकर: जीएसटी (राज्यों को क्षतिपूर्ति) अधिनियम, 2017 की धारा 8 के तहत प्रावधान के अनुसार कुछ लक्जरी और डीमेरिट वस्तुओं पर क्षतिपूर्ति उपकर के रूप में एक उपकर लगाया जा रहा है, जिसका उद्देश्य जीएसटी के कार्यान्वयन के कारण उत्पन्न होने वाले राजस्व के किसी भी नुकसान के लिए राज्यों को पांच साल के लिए यानी 1 जुलाई, 2017 से 30 जून, 2022 तक मुआवजा देना है। उपकर को एक गैर-व्यपगत निधि में हस्तांतरित किया जाता है जिसे जीएसटी क्षतिपूर्ति निधि के रूप में जाना जाता है जो अधिनियम की धारा 10(1) के अनुसार भारत के लोक खाते का हिस्सा है।

ड.) पिछले पांच वर्षों के दौरान सरकार द्वारा एकत्रित उपकर और अधिभार की राशि, वर्ष-दर-वर्ष आधार पर प्रतिशत वृद्धि के साथ, **अनुलग्नक 'क'** के रूप में संलग्न है।

(च) जी नहीं।

अनुलग्नक क

मुख्य करों के भाग के रूप में लगाए गए और एकत्र किए गए प्रमुख उपकरों और अधिभारों का ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण

(रुपए करोड़ में)

क्रम.	लगाए गए और प्राप्त किए गए कर शीर्ष का नाम	वास्तविक आंकड़े 2020-21	वास्तविक आंकड़े 2021-22	वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि	वास्तविक आंकड़े 2022-23	वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि	वास्तविक आंकड़े 2023-24	वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि	संशोधित अनुमान 2024-25	वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि	बजट अनुमान 2025-26	वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि
परिचालन में प्रमुख उपकर:												
1	कृषि अवसंरचना एवं विकास उपकर #	...	76950.68	…	74142.03	-3.65%	80923.6	9.15%	75180.00	-7.10%	80030.00	6.45%
2	कच्चे तेल पर उपकर	10894.44	19353.84	77.65%	21497.14	11.07%	18803.41	-12.53%	17810.00	-5.28%	19330.00	8.53%
3	निर्यात पर उपकर	9214.64	1457.1	-84.19%	852.44	-41.50%	-3.19	-100.37%	10.00	-413.48%	11.00	10.00%
4	माल एवं सेवा कर क्षतिपूर्ति उपकर	85191.91	104768.66	22.98%	125862.41	20.13%	141436.16	12.37%	153440.00	8.49%	167110.00	8.91%
5	स्वास्थ्य एवं शिक्षा उपकर	35821.55	52732.33	47.21%	61809.29	17.21%	71156.96	15.12%	85300.00	19.88%	94000.00	10.20%
6	राष्ट्रीय आपदा आकस्मिक ड्यूटी	5098.81	6138.3	20.39%	7168.3	16.78%	7812.25	8.98%	9610.00	23.01%	10380.00	8.01%
7	सड़क एवं अवसंरचना उपकर*	235782.55	195986.96	-16.88%	59234.95	-69.78%	44552.49	-24.79%	45250.00	1.57%	47420.00	4.80%
	कुल योग (1 से 7)	**382003.90**	**457387.87**	**19.73%**	**350566.56**	**-23.35%**	**364681.68**	**4.03%**	**386600.00**	**6.01%**	**418281.00**	**8.19%**

** इसमें पेट्रोल और डीजल पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क शामिल है, जिसे 'सड़क और बुनियादी ढांचा उपकर ' लागू होने से पहले 'सड़क उपकर ' के रूप में जाना जाता था।*

 # वित्त वर्ष 2021-22 से उपकर लगना शुरू हो गया है।

(रुपए करोड़ में)

क्रम. सं.	लगाए गए और प्राप्त किए गए कर शीर्ष का नाम	वास्तविक आंकड़े 2020-21	वास्तविक आंकड़े 2021-22	वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि	वास्तविक आंकड़े 2022-23	वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि	वास्तविक आंकड़े 2023-24	वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि	संशोधित अनुमान 2024-25	वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि	बजट अनुमान 2025-26	वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि
लगाए गए अधिभार -												
1	निगम कर	14078.57	15890	12.87%	55103.79	246.78%	60373.34	9.56%	60000.00	-0.62%	70000.00	16.67%
2	निगम कर के अलावा अन्य आय पर कर	5537.78	7922.88	43.07%	53914.24	580.49%	54793.8	1.63%	76000.00	38.70%	85000.00	11.84%
3	फ्रिंज बेनिफिट टैक्स	0.37	...	…	...	…	...	…	...	…	...	…
4	सीमा शुल्क के अंतर्गत सामाजिक कल्याण अधिभार	13447.39	16945.06	26.01%	16178.79	-4.52%	16273.41	0.58%	17250.00	6.00%	17500.00	1.45%
	कुल योग (1 से 4)	**33064.11**	**40757.94**	**23.27%**	**125196.82**	**207.17%**	**131440.55**	**4.99%**	**153250.00**	**16.59%**	**172500.00**	**12.56%**